उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

प्रथम तल, इंस्टीट्यूटशन ऑफ इंजीनियर्स (इ0), नियर आई0एस0बी0टी0, क्लेमनटाउन, देहरादून
फोन–0135–2641119 फैक्स–2641314 Website : www.uerc.gov.in E-mail- uttaranchalerc@rediffmail.com

वाहनों की पुनः नीलामी हेतु सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग देहरादून के निष्प्रयोज्य घोषित वाहन सं0 UA07 D 7390 मारूति स्टीम कार (पैट्रोल) मॉडल वर्ष 2002 तथा वाहन सं0 UA07 H 5202 टाटा इण्डिगो कार (पैट्रोल) मॉडल वर्ष 2004 के ''जैसा है जहॉ है'' के आधार पर विक्रय हेतु उपलब्ध है। वाहनों का विक्रय दिनांक 01.08.2013 को अपराह्न 03:00 बजे खुली नीलामी/बोली के आधार पर किया जायेगा। इच्छुक क्रेताओं को जमानत धनराशि के रूप में प्रत्येक वाहन हेतु रू0 5000.00 (रूपया पॉच हजार मात्र) का ड्राफ्ट जो सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के पक्ष में देय हो, बोली में प्रतिभाग लेने से पूर्व नीलामी प्रक्रिया आरम्भ होने से पूर्व जमा कराना अनिवार्य होगा। वाहनों का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में सांय 04.00 बजे से 06.00 बजे तक आयोग परिसर में किया जा सकता है। अधिकतम धनराशि के बोलीदाता को वाहनों के विक्रय मूल्य का 50 प्रतिशत तत्काल जमा कराना होगा तथा शेष धनराशि तीन दिन के अन्दर जमा कर निष्प्रयोज्य घोषित वाहन की डिलीवरी प्राप्त करनी होगी, अन्यथा जमानत धनराशि जब्त कर ली जाएगी। परिवहन विभाग द्वारा प्रत्येक वाहन का न्यूनतम मूल्य रू0 60,000/– निर्धारित किया गया है। इस मूल्य से कम बोली प्राप्त होने पर वाहन की नीलामी स्थगित की जा सकती है। निविदा की विस्तृत शर्तें आयोग कार्यालय अथवा वेबसाईट www.uerc.gov.in पर देखी जा सकती है।

Advt. no. 06/13-14

सचिव

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

प्रथम तल, इंस्टीट्यूटशन ऑफ इंजीनियर्स (इ0), नियर आई0एस0बी0टी0, क्लेमनटाउन, देहरादून
फोन–0135–2641119 फैक्स–2641314 Website : www.uerc.gov.in E-mail- uttaranchalerc@rediffmail.com

वाहनों की पुनः नीलामी हेतु बोलीदाताओं के लिए नियम एवं शर्ते

1. उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग देहरादून के निष्प्रयोज्य घोषित वाहन सं0 UA07 D 7390 मारूति स्टीम कार (पैट्रोल) मॉडल वर्ष 2002 तथा वाहन सं0 UA07 H 5202 टाटा इण्डिगो कार (पैट्रोल) मॉडल वर्ष 2004 के ''जैसा है जहॉ है'' के आधार पर विक्रय हेतु उपलब्ध है। वाहनों का विक्रय दिनांक 01.08.2013 को अपराह्न 03:00 बजे खुली बोली के आधार पर किया जायेगा। इच्छुक केताओं को जमानत धनराशि के रूप में प्रत्येक वाहन हेतु अलग–अलग रू0 5000.00 (रूपया पॉच हजार मात्र) का डिमान्ड ड्राफ्ट जो सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के पक्ष में देय हो, बोली में प्रतिभाग लेने से पूर्व नीलामी प्रक्रिया आरम्भ होने के समय से पहले ही जमा कराना अनिवार्य होगा।
2. जमानत के रूप में जमा की गयी धनराशि बोली समाप्ति पर उच्चतम दरों के दो सफल (प्रथम एवं द्वितीय) बोलीदाताओं की धरोहर राशि को छोड़कर शेष बोलीदाताओं की राशि तुरन्त वापस कर दी जाएगी।
3. जिस बोलीदाता के नाम अन्तिम बोली छोड़ी जाएगी अथवा उच्चतम सफल बोलीदाता को बोली की 50 प्रतिशत धनराशि नकद/डिमान्ड ड्राफ्ट जो उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के पक्ष में देय हो, के रूप में तत्काल जमा कराना होगा तथा शेष धनराशि तीन दिन के अन्दर जमा कर निष्प्रयोज्य घोषित वाहन की डिलीवरी प्राप्त करनी होगी।
4. नीलामी से प्राप्त धनराशि केवल नकद/डिमान्ड ड्राफ्ट जो उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के पक्ष में देय हो, के रूप में जमा की जा सकती है अन्य माध्यम से जमा धनराशि पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. यदि उच्चतम सफल बोलीदाता नीलामी की शेष धनराशि समय सीमा के अन्तर्गत जमा करने में असफल होता है तब ऐसी स्थिति में दूसरे सफल बोलीदाता के नाम निष्प्रयोज्य वाहन को प्रथम उच्चतम बोलीदाता की दरों पर छोडने पर विचार किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रथम सफल बोलीदाता की धरोहर के रूप में जमा जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।

6. सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह नीलामी को बिना कारण बताते हुए अस्वीकार कर सकता है और पुनः नीलामी की कार्यवाही कर सकता है।

7. परिवहन विभाग द्वारा प्रत्येक वाहन का न्यूनतम मूल्य रू0 60,000/— निर्धारित किया गया है। इस मूल्य से कम बोली प्राप्त होने पर वाहन की नीलामी स्थगित की जा सकती है।

8. वाहनों की नीलामी गठित विभागीय समिति के सदस्यों की उपस्थिति में समिति द्वारा की जाएगी।

9. वाहनों की नीलामी उपरान्त प्रथम सफल बोलीदाता को वाहन का पंजीकरण स्वंय के नाम पर हस्तान्तरित किया जाना अनिवार्य होगा, जिस पर व्यय का खर्च बोलीदाता को स्वंय वहन करना होगा।

10. यदि कोई आयकर/व्यापार कर अथवा अन्य कोई कर नियमानुसार देय होगा तो वह क्रेता द्वारा वहन किया जायेगा तथा सम्बन्धित विभाग को भुगतान कर उसकी रसीद/चालान की प्रति वाहन की डिलीवरी लेने पूर्व आयोग में जमा करेगा तत्पश्चात ही वाहन की डिलीवरी आयोग द्वारा दी जाएगी।

11. उपरोक्त नीलामी की शर्तों के विषय में तथा नीलामी की तिथि स्थगित होने या बदलने एवं नीलामी के दौरान अथवा किसी भी समय विवाद उत्पन्न होने की स्थिति मे ंसचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा।

सचिव